क्रम संख्या–60

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 105/XXXVI(3)/2015/30(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2015)

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर सशोधन करने के लिये :–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2015" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 17 की उपधारा (1) खण्ड (च) का प्रतिस्थापन

2– "उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पाद मण्ड़ी (विकास एव विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष, 2011) जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (च) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

(च) "श्रेणी "क" की विशिष्ट मण्डियों में मण्डी क्षेत्र के उत्पादको के दस प्रतिनिधि व अन्य मण्डियों में मण्डी क्षेत्र. के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि"

धारा 48 (कक) का अन्तःस्थापन

3– मूल अधिनियम, की धारा 48 के खण्ड (क) के पश्चात् एक नया खण्ड (कक) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा :–

"**(कक)** उपाध्यक्ष–राज्य सरकार विपणन बोर्ड हेतु नामित सदस्यों में से, एक को बोर्ड में उपाध्यक्ष नामित कर सकेगी।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।